

आदेश नं. ६७/२०२५, श्री. विवेक कुमार शर्मा आई.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या ४४४/२०२५ (धारा १४ (सिक्योरिटी इंटरिस्ट))  
आई.एस.आई.ए. विधि, २००२ के अन्तर्गत - एफ-२-ए जमानत दंड, आवासीय भूमि,  
सैदाही नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. गैराली जगदा राम शंकर जिरिगे प्रोपराईटर श्री सुरेश कुमार गोदवानी,  
पता - मनीराम कोठी का रास्ता, रामगढ़ बाजार, जयपुर।
2. श्री सुरेश कुमार गोदवानी पुत्र श्री हुकुमत राय,
3. श्री किशोर गोदवानी पुत्र श्री हुकुमत राय,
4. श्री बारादेव पुत्र श्री हुकुमत राय,
5. श्री भगवान दास गोदवानी पुत्र श्री हुकुमत राय,
6. श्रीमती आशा गोदवानी पत्नी श्री सुरेश गोदवानी,  
पता - 629, सिंधी कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर।

अप्रार्थीमण  
ऋणी एवं गारन्टर




The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security  
Interest Act, 2002

प्रार्थित - श्री विक्रम सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 04.09.2025

1. श्लोक में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.10.2023 को पुनर्मुग्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री भगवान एवं श्री किशोर पुत्रान स्वर्गीय श्री हुकुमत राय गोदवानी के स्वामित्व की सम्पत्ति क्वार्टर नं. 629-ए के भू तल एवं तृतीय तल, जयपुर नगर चौकड़ी हवाली, सिंधी कॉलोनी, राजापार्क, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 940.37 वर्गफीट को बंधक रख कर कुल राशि 40,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण मुग्तान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.04.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मग व्याज मुग्तान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इरतदुआ की है।

  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिकता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 40,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 40,45,837/-रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 15.04.2025 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री भगवान एवं श्री किशोर पुत्रान स्वर्गीय श्री हुकुमत राय गोदवानी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति क्वार्टर नं. 629-ए के भू तल एवं तृतीय तल, जयपुर नगर चौकडी हवाली, सिंधी कॉलोनी, राजापार्क, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 940.37 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से



कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर